उ0 प्र0 विधान में विपक्ष की भूमिका

डॉ0 अयोध्या प्रसाद सिंह,

विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान,

एस0 एम0 कॉलेज,

चन्दौसी (सम्भल) 244412 उ0प्र0

संसदीय सरकार का सुचारू रूप से चलाना सरकार और विपक्ष के बीच परस्पर सहिष्णुता पर आधारित है। यदि विपक्ष का नेता मुख्यमंत्री को शासन करने देता है तो उसके बदले में उसे विरोध करने की छूट है। (1) यदि सरकार ऐसा कोई कार्य करती है जो असंवैधानिक है तो विपक्ष उस पर अंकुश लगाता है। उसे हटाने का प्रयास करता है। एक सही व स्वस्थ विपक्ष सरकार के ऊपर नियंत्रण रखता है। तथा उनके दोषों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है। जन संचार के माध्यम से उसकी भर्त्सना करता है। विपक्ष लोकहित को ध्यान में रखते हुए सत्ता–रूढ़ दल की गलत नीतियां तथा गलत कार्यक्रमों की आलोचना करता है। तथा उसमें व्याप्त अराजकता को भी दूर करता है। इसलिए विपक्ष को लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है।

यह ठीक ही कहा गया है कि सदन नेता में यह सहजवृत्ति होनी चाहिए कि वह पता लगाये कि सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों की भावनाएं क्या है और जब भी कोई झगड़ा हो तो वह उसके स्वास्थ तथा व्यापकता को भली भांति भांप लें। जब भी किसी विषय पर संसद या विधान सभा की ओर से दबाव डाला जा रहा हो, विशेषकर दोनों ओर से तो उसके सामने झुकने के लिए तैयार रहना चाहिए। (2)

आधुनिक राज्यों में जहां निर्णय प्रक्रिया बहुमत के सिद्वांतों पर आधारित होती है तो उसे सत्तारूढ़ समूह कहा जाता है। सत्ता पक्ष से भिन्न सिद्वांतो का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक समूह अथवा दल विपक्ष का निर्माण करते हैं। जिस राजनीतिक दल को आम निर्वाचन में बहुमत प्राप्त हो जाता है वह दल सरकार का गठन करता है तथा जिस दल या समूह को बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है, वह विरोधी दल अथवा विपक्ष कहलाता है।

विधान सभा में सरकार और विपक्ष

''विपक्ष'' शब्द का उद्भव लैटिन शब्द ''अपोजिशियो'' से हुआ है। जिसका अर्थ है विरोध करना। (3) प्राचीन एवं मध्यकालीन युग में किसी भी प्रकार के राजनीतिक समूह को सरकार राजद्रोही समझती थी, विपक्ष के लिये इस युग में कोई स्थान नहीं था। (4) जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि संसदीय प्रणाली में न केवल सशक्त विरोध पक्ष की आवश्यकता होती है, न केवल प्रभावोत्पादक, ढंग से अपने विचार व्यक्त करना अपेक्षित होता है, बल्कि सरकार और विरोधी पक्ष के बीच सहयोग का आधार भी अत्यावश्यक होता है। किसी एक विषय के संबंध में ही सहयोग काफी नहीं है, बल्कि संसद के काम को आगे बढ़ाने का आधार परस्पर सहयोग ही है और हम ऐसा करने में सफल होंगे, वहां तब हम संसदीय तंत्र की ठोस नींव रखने में भी सफल होंगे। (5)

सरकार के कार्य में विपक्ष का हस्तक्षेप

संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए जितना उत्तरदायी मंत्रिमंडल उपयोगी होता है, उतना ही उपयोगी विपक्ष भी होता है। विरोध पक्ष सरकार की दुर्बलताओं को अभिव्यक्त कर लोकमत को अपने पक्ष में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। वह शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, सरकारी दोषपूर्ण नीतियों का भंडा फोड़ करता है। तथा शासकीय नीतियों के कार्यान्वयन में व्याप्त अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता है। विपक्ष जनता में व्याप्त असंतोष को व्यक्त करता है। तथा उनकी कठिनाइयों एवं दुःख दर्दों को शासन तक पहुंचाता है। इससे दुहरा लाभ होता है। शासन अपनी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करता है। जिससे आम जनता को लाभ मिलता है। इससे दूसरा लाभ यह होता हे कि लोकतंत्र सत्तारूढ़ पक्ष से विमुख होकर विपक्ष की ओर उन्मुख हो जाता है। इससे शासकों के व्यवहार में संतुलन आ जाता है। इस तरह विरोध पक्ष की अहम भूमिका स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि इंग्लैण्ड में विपक्ष को ''शाही विपक्ष'' के नाम से संबोधित किया जाता है। तथा विरोध पक्ष के नेता को मंत्री पद की सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

जब नवगठित विधान सभा के प्रारंभिक दिनों में सदस्यों के शपथ ग्रहण में विपक्ष का आचरण कैसा रहा। हर कार्य में विपक्ष अपना अलग राजनीति अपनाता है। राज्यपाल के अभिभाषण के समय विपक्ष काफी जागरूक हो जाता है और उसमें टीका–टिप्पणी करता है।

सरकार के कार्य में विपक्ष का हस्तक्षेप इस प्रकार है जैसे

नीति निर्धारण में विपक्ष का हस्तक्षेप– सरकार की सफलता का रहस्य उसकी नीतियों में निहित है। आज की कमर तोड़ महंगाई, पूंजीवाद की बढ़ती हुई काली छाया, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, कर्मचारियों का नैतिक पतन, आर्थिक असंतुलन, आदि को देखकर विपक्ष कहता है कि गेहूं तो अब गरीबों का खाना नहीं रहा, वह तो पूंजीपति तथा उच्च वर्ग का ही आहार रह गया है। विपक्ष सरकार की शिथिल नीतियों की निंदा करता है। सरकार (मंत्रिमंडल) नीतियों की स्थापना करता है। तथा उसके सम्बंध में अन्य निष्पादन संबंधी बातों की पूर्ति विभागों द्वारा की जाती है। नीति निर्माण जन साधारण की मानसिक भूमिकानुसार विधान मंडल का कार्य है। यदि गलत नीतियां बन जाती है तो विरोधी पक्ष आम जनता के सम्मुख सरकार की धज्जी उड़ाकर रख देता है। विपक्ष देखता है कि कहां, कब, कैसे गलत निर्णय लिया गया, वहीं पर वह शासन पर हावी हो जाता है।1

विधान सभा में उ0 प्र0 के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ पर विपक्ष ने धमकाने का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता राम गोविन्द चौधरी ने फरवरी 2019 में कहा कि सत्तारूढ़ दल प्रतिपक्ष को हर तरह से धमका रहा है। उन्होंने कहा कि जब सदन के नेता बोलते हैं कि मार डालेंगे, काट डालेंगे से लेकर डंडा चलेगा जैसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह अशोभनीय है।

राज्य सभा में बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री मायावती को सत्तारूढ़ दल ने बोलने नहीं दिया तो उत्तर प्रदेश विधान सभा में सत्तारूढ़ दल नेता ने विरोधी दल नेता का माइक बन्द करा दिया। बाद में प्रतिपक्ष ने अनिश्चित काल के लिए वाकआउट का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश विधान सभा में जो कुछ हुआ वह लोकतंत्र के लिए गम्भीर संकेत है। यहां तक कि सदन के बाहर मीडिया और उसकी हैसियत बताने का काम हुआ।

किसान आन्दोलन से व्यवस्था का बिगड़ते जाना, पुलिस पर हमला बोलना शर्मनाक घटना है। इन सवालों को उठाने वाला विपक्ष खुद को असहाय नजर दिख रहा है। इसकी एक वजह संख्या बल भी है तो इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ का तेवर भी उग्र नजर आता है। कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता अजय सिंह लल्लू ने कहा ''जब नेता सदन ही धमकाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा। आज स्थिति यह है कि विपक्ष अपने को बहुत कमजोर महसूस कर रहा है। विपक्ष संसदीय लोकतंत्र में Watchdog अर्थात् पहरेदार का काम करता है। इसीलिए लोकतंत्र में विपक्ष का सशक्त होना आवश्यक है।

सन्दर्भ

1. **कौल, महेश्वरनाथ एवं शकधर, श्यामलाल :** संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार पृ0 126
2. **हर्बर्ट मारिसन :** गवर्नमेन्ट एण्ड पार्लियामेंट इन सर्वे फ्राम द इनसाइट लंदन, 1954 पृ0 118–119
3. **फर्टियाल, एच0 एस0 :** रोल ऑफ द आपोजिशन इन इण्डियन पार्लियामेन्ट इलाहाबाद, 1971 पृ0 01
4. मार्किसिज्म, कम्युनिज्म एण्ड वेस्टर्न सोसायटी कम्परेटिव इन साइक्लोपीडिया, एडिटेड बाई, कनिंग, सी0 डी0 वोल्यूम सिक्स्थ, पृ0 1581
5. **कौल, एम0, शकधर एस0 :** संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार पृ0 259